"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007 2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2010—माघ 9, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 1-1/2010/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाये अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के प्रथम एवं तृतीय चरण एवं ग्राम पंचायत चरमुड़िया, जनपद पंचायत कुरूद, जिला धमतरी के पंच पद के रिक्त वार्ड क्रमांक 04, 12 एवं 15 के उप निर्वाचन हेतु क्रमश: गुरुवार दिनांक 28 जनवरी, 2010 एवं बुधवार दिनांक 03 फरवरी, 2010 को मतदान के लिए उपरोक्त परिशिष्ट के कालम क्रमांक 4 एवं 6 में दर्शाये गए क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

परिशिष्ट "क"

जिलेवार एवं चरणवार विकासखंडों की सूची जहां मतदान के प्रथम चरण (गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी, 2010) एवं तृतीय चरण (बुधवार, दिनांक 03 फरवरी, 2010) को मतदान सम्पन्न होना है :—

क्रमांक (1)	जिला (2)	क्रमांक (3)	प्रथम चरण (4)	क्रमांक (5)	तृतीय चरण (6)
1.	बिलासपुर	1.	मरवाही	1.	पथरिया
		2.	गौरेला	2.	बिल्हा
		3.	पेंड्रा	3.	मस्तुरी
		4.	कोटा	–	–
2.	जांजगीर-चांपा	1.	नवागढ़	1.	बम्हनीडीह
		2.	डभरा	2.	बलौदा
		3.	जैजेपुर	3.	पामगढ़
3.	कोरबा	1.	कोरबा	1.	पोड़ी
		2.	करतला	–	–
4.	सरगुजा	1.	लुण्ड्रा	1.	अंबिकापुर
		2.	सीतापुर	2.	लखनपुर
		3.	बलरामपुर	3.	उदयपुर
		4.	बतौली	4.	प्रेमनगर
		5.	शंकरगढ़	5.	रामानुजनगर
		6.	कुसमी	6.	सूरजपुर
5.	कोरिया	1.	बैकुण्ठपुर	1.	खड़गवां
		2.	सोनहत	–	–
6.	रायगढ़	1.	सारंगढ़	1.	घरघोड़ा
		2.	बरमकेला	2.	लैलूंगा
		–	–	3.	धरमजयगढ़
				4.	तमनार
7.	जशपुर	1.	मनोरा	1.	फरसाबहार
		2.	बगीचा	2.	कांसाबेल
		–	–	3.	पत्थलगांव
8.	रायपुर	1.	फिंगेश्वर	1.	आरंग
		2.	कसडोल	2.	गरियाबंद
		3.	तिल्दा	3.	मैनपुर
		4.	धरसींवा	4.	छुरा
		5.	देवभोग	5.	बिलाईगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	महासमुन्द	–	–	1.	बसना
		–	–	2.	सरायपाली
		–	–	3.	पिथौरा
10.	धमतरी	1.	कुरूद	–	–
		2.	धमतरी	–	–
		3.	नगरी	–	–
11.	दुर्ग	1.	गुरूर	1.	बेमेतरा
		2.	बालोद	2.	नवागढ़
		3.	डौंडी	3.	साजा
		4.	डौंडीलोहारा	4.	बेरला
12.	राजनांदगांव	1.	मानपुर	1.	राजनांदगांव
		2.	मोहला	2.	खैरागढ़
		–	–	3.	छुईखदान
13.	कबीरधाम	1.	कवर्धा	–	–
		2.	सहसपुर-लोहारा	–	–
14.	बस्तर	1.	जगदलपुर	1.	केशकाल
		2.	तोकापाल	2.	माकड़ी
		3.	बास्तानार	3.	बड़ेराजपुर
		4.	दरभा	4.	फरसगांव
15.	नारायणपुर	1.	नारायणपुर	–	–
16.	उ. ब. कांकेर	1.	अंतागढ़	1.	नरहरपुर
		2.	कोयलीबेड़ा	2.	कांकेर
		–	–	3.	चारामा
17.	द. ब. दन्तेवाड़ा	1.	दंतेवाड़ा	1.	कोन्टा
		2.	गीदम	–	–
		3.	छिंदगढ़	–	–
18.	बीजापुर	1.	बीजापुर	–	–
		2.	भैरमगढ़	–	–
	योग 18		49		44

टीप :— द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 31 जनवरी, 2010 को सम्पन्न होगा. उक्त तिथि को पूर्व से ही रविवार होने के कारण अवकाश घोषित है. अत: उक्त तिथि को अलग से सामान्य अवकाश घोषित नहीं किया जा रहा है.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 8-6/2007/11 (6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी./3210 को दिनांक 01-01-2010 से 30-06-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्रमांक 2-53/2002/12.—जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अन्तर्गत डायमण्ड गोल्ड, एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 2083 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए मेसर्स बी.एच.पी. खनिज अन्वेषण प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 30-12-2006 से (03) तीन वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत रिकॉनेसेन्स परमिट का अनुबंध का निष्पादन दिनांक 23-03-2007 को हुआ था.

2. कंपनी द्वारा अनुबंध निष्पादन की तिथि से 02 वर्ष पश्चात् स्वीकृत संपूर्ण क्षेत्र (2083 वर्ग कि.मी.) का त्याग कर दिये जाने के संबंध

स्वीकृत क्षेत्र खाली हो गया है. **खाली हुए क्षेत्र का अक्षांश-देशांश** अनुसूची एक में उल्लेखित है.

अनुसूची-एक

जिला	आवेदित क्षेत्र का अक्षांश एवं देशांश का विवरण टोपोशीट क्रमांक 65 बी एवं 65 एफ का भाग		
	बिन्दु	अक्षांश	देशांश
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	A	18°23'30.07"	80°59'51.5"
	B	18°23'31.08"	81°30'02.8"
	C	18°10'58.4"	81°29'37.08"
	D	18°01'46.8"	81°24'41.1"
	E	18°01'08.9"	81°02'24.5"

3. अनुसूची एक में उल्लेखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत पुन: खनिज रियायत स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

2. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के तिथि से 30 दिवस पश्चात् खनिज रियायत के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2010

क्रमांक 118/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2010.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री वी. के. श्रीवास्तव, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक 484/विमऊ/13-1/2008 दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के पालन में एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के पद पर पदस्थ हैं, को श्री वी. के. वर्मा, एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के पद से दिनांक 31-10-2009 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड कम्पनी में प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

2. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 जनवरी 2010

क्रमांक/356/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	खुर्सीपार प. ह. नं. 58	0.506	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण (अनुपूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 19 जनवरी 2010

क्रमांक/118/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03 अ/82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	भोरिंग प. ह. नं. 137/84	0.045	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	कोडार जलाशय योजना के गढ़सिवनी वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2010

क्रमांक/34/प्र.-1/अ.वि.अ./2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुरूर	डढ़ारी प. ह. नं. 06	0.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग-राजनांदगांव.	भोथली-गंगोरीपार मार्ग देवरानी-जेठानी नाला पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2010

क्रमांक/34/प्र.-1/अ.वि.अ./2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुरूर	गंगोरीपार प. ह. नं. 5	0.21	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग-राजनांदगांव.	भोथली-गंगोरीपार मार्ग देवरानी-जेठानी नाला पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 09/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सड्डू प. ह. नं. 109	87/5 87/6 87/7	 1533	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर.	बरौदा सड्डू मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
		योग	03	1533		

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 02/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	चमारगुडा प. ह. नं. 16/34	5.202	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, जिला-रायपुर छ. ग.	चमारगुडा उप-नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2009

प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/06-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पुटा	1.660	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	पूटा जलाशय योजना की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2009

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बस्ती	2.467	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	पूटा जलाशय योजना की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांसा प.ह.नं. 6	13.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर-चांपा, मु. चांपा.	घटोई जलाशय के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	रामतीर्थ	13.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, जिला-सरगुजा छ. ग.	गट्टीझरिया जलाशय/ परियोजना के डूब क्षेत्र/ नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जल संसाधन, सरगुजा एवं कौरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./11/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	ओड़गी	चेन्द्रा प. ह. नं. 09	8.24	अनुविभागीय अधिकारी, गेज लीवर एल.बी.सी. उप संभाग, सूरजपुर.	चेन्द्रा जलाशय के अन्तर्गत स्पिल चैनल, बांईतट नहर, कोड़ा पुरवा शाखा नहर, एवं डूबान तथा दायीं तट नहर में छूटी हुई भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./17/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	चलगली प. ह. नं. 05	1.703	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर, सरगुजा.	गंगोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./18/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	किरकिमा प. ह. नं. 04	1.374	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर, सरगुजा.	गंगोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./19/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	कोईलारी प. ह. नं. 04	1.461	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर, सरगुजा.	गंगोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./20/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	भेड़िया प. ह. नं. 04	4.079	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर, सरगुजा.	सपड़ा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./21/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	कछार प. ह. नं. 04	3.506	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर, सरगुजा.	घाघ झरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./22/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	नागम प. ह. नं. 05	3.098	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर, सरगुजा.	गंगोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./23/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	सपड़ा प. ह. नं. 04	2.091	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर, सरगुजा.	सपड़ा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./24/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	नागम प. ह. नं. 05	0.251	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर, सरगुजा.	रीरी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 जनवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-कसडोल, प. ह. नं.-36, तहसील व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 4.552 हे. बांध निर्माण प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 09-03-2007 तथा 08-06-2007 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण

ग्राम-कसडोल

प. ह. नं. 36, रा.नि.म.-तमनार, तह.-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1.	23/3 ग, 25/3, 25/4, 23/3 क, 21/1	0.070

(1)	(2)	(3)
2.	45/2	0.017
3.	70/3	0.006
4.	289/2	0.077
	योग	**0.170**

भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का मानचित्र एवं अन्य ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/23-अ/82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-टेहका, प. ह. नं. 5/41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.730 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
455/1	0.004
442/1	0.089
442/2	0.004
410/1	0.061
411	0.259
409	0.004
412	0.178
408	0.134
404	0.303
328/3	0.040
403	0.385
329	0.223
402	0.045
371/1	0.190
371/4	0.020
370	0.320
393	0.146
369/1	0.008
369/2	0.235
373	0.194
368/1	0.113
367/1	0.024
374	0.215
375/1	0.069
375/3	0.049
380	0.117
379/1	0.190
379/2	0.065
374/4	0.097
379/2	0.004
392/2	0.004
358	0.527
394	0.081
357	0.333
योग 34	4.730

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दतरेंगी वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 जनवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-लोहडापानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.668 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
409	0.004
376	0.042
392/1	0.012
392/2	0.064
393/2	0.008
413	0.096
297	0.048
258	0.032
260/1	0.052
261/1	0.124
320/1	0.032
260/1	0.052
371	0.024
280	0.072
390	0.058
391	0.028
393	0.152
379	0.036
375	0.074
372	0.056
284	0.042
283	0.028
478	0.064
276	0.004
277	0.076
818	0.012
278/1	0.028
264	0.036
284	0.040
483	0.044
583	0.048
580	0.104
812	0.076
योग 33	1.668

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोहडापानी जलाशय की मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जनवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-लोहडापानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.757 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
346	0.500

(1)	(2)
351/1	1.721
419	0.086
422	0.270
423	0.180
योग 5	2.757

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोहडापानी जलाशय योजना डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 जनवरी 2010

क्रमांक/355/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-रतनभाट, प. ह. नं. 67
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.49 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
299/3	0.35
299/1	0.20
299/2	0.10
266/1, 266/3	0.15
266/2	0.20
265/1	0.08
265/2	0.12
268/1	0.20
268/2	0.30
29/5	0.05
269/5	0.45
248/4	0.50
247	0.55
246	0.50
234	1.05
231/1	0.08
232	0.12
231/6	0.60
23/2	0.50
228/6	0.12
25/4	0.10
210/1	0.12
208/12	0.20
208/13	0.10
208/11	0.10
96/5	0.30
96/2	0.05
231/7	0.30
योग 29	7.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोतीनाला व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. 02/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-सांकरा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	846/2	0.13
योग		0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमका डायवर्सन वियर की नहर हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्रमांक 23/खलि/तीन-1/09.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के तहत जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर मुख्य खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा स्वीकृति हेतु, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरांत आवेदित क्षेत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम व नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अमलीतालाब खौना	31	तिल्दा	303/1 140/1	18.40 एकड़	श्रीमती सेम्युयल को स्वीकृत खनिपट्टा अनुबंध निष्पादन नहीं किये जाने के फलस्वरूप छ. ग. शासन, खनिज साधन विभाग, रायपुर के पत्र क्र. एफ 3-29/02/12/ दिनांक 26-12-2009 के तहत् Revock (रद्द) किये जाने के फलस्वरूप क्षेत्र रिक्त हैं.

डोमन सिंह,
अपर कलेक्टर.

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

[छ. ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित]

अम्बिकापुर, दिनांक 05 अक्टूबर 2009

क्रमांक 720/अका./सविवअं/2009.—छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. 1685/09/38-2 रायपुर, दिनांक 8-6-2009 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. [WRIT PETITION (CIVIL)] No. 19 of 2004 के पैराग्राफ 46 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में विश्वविद्यालय परिनियम 27 (A) की धारा 12 एवं 16 के प्रावधानानुसार तथा धारा 17 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संस्था को दर्शाए गये विवरण के अनुसार अंतरिम संस्था के रूप में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है.

क्र.	अंतरिम संस्था का नाम	पाठ्यक्रमों की सूची	
1.	द पब्लिक हेल्थ साइंसेस रिसर्च एज्यूकेशनल आर्गेनाइजेशन (पूर्ववर्ती द स्टेट्स विश्वविद्यालय) बिलासपुर.	1. बी. ए. 2. बी. काम. 3. बी. एससी. 4. एम. फिल 5. एम. ए. 6. एम. एससी. 7. एम. काम. 8. डी. सी. ए.	9. सर्टिफिकेट कोर्स 10. पी.जी. डी. सी. ए. 11. एम. एस. डब्ल्यू. 12. एम. ए. एज्यूकेशन 13. बी. एससी. (आई. टी.) 14. एम. एससी. (आई. टी.) 15. बी. पी. एड. 16. बी. लिब. एण्ड आई. एससी. 17. एम. लिब. एण्ड आई. एससी.

यह अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. संस्था को छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 व उसके अंतर्गत बनाए गए समस्त अध्यादेश, परिनियम तथा विश्वविद्यालय/राज्य शासन व अन्य किसी विधिक निकाय (Statutory Body) द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

2. संस्था द्वारा यह घोषणा की है कि वह सुरक्षा निधि के रूप में रु. 5.00 लाख जमा करेगा अतएव यह राशि एफ. डी. के द्वारा जमा की जायेगी. यह राशि समायोजन के पश्चात् सत्रांत पर वापसी के योग्य होगी.

3. ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम जिसका अध्यादेश गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के पास नहीं होगा उसमें परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी.

4. परीक्षाओं के समस्त संभावित व्यय अंतरिम संस्था विश्वविद्यालय में अग्रिम जमा करेगा.

5. पूर्ववर्ती निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत विधि मान्य प्रक्रिया के निर्मित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित होने वाली प्रस्तावित परीक्षाओं में केवल 11-02-05 के पूर्व प्रवेशित एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा.

6. परीक्षा केन्द्रों के व्यवस्थापन संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा के पूर्व इस विश्वविद्यालय को अंतरिम संस्था उपलब्ध करायेगी.

7. ऐसे पाठ्यक्रम जिनके लिये केन्द्रीय विनियामक अभिकरणों जैसे ए. आई. सी. टी. ई., एन. सी. टी. ई. एम. सी. आई., आई. एन. सी. आदि या छत्तीसगढ़ शासन (जहां लागू हो) से प्रमाणपत्र, अनुमति पत्र की आवश्यकता है तथा वर्तमान में यह उपलब्ध न हो ऐसी स्थिति में दिनांक 23-04-2005 को समन्वय समिति की बैठक में पारित परिनियम 27 (ए) की कंडिका 9 (ई) में जोड़े गये प्रावधानों के तहत ही परीक्षा परिणाम घोषित किये जा सकेंगे. इस हेतु प्रायोजक निकाय के सक्षम/अधिकृत अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र परीक्षा आयोजन के पूर्व जमा करना होगा.

8. प्रायोजक निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा के आयोजन हेतु सम्बद्ध समस्त अधिकारी/कर्मचारी प्रचलित न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखते हैं. इस हेतु समस्त परीक्षा से संबंधित कार्यों के लिये नियुक्ति (यथा पेपर सेटर, प्रायोगिक परीक्षक, मौखिक परीक्षक, मूल्यांकनकर्ता आदि) की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी.

9. परीक्षा के आयोजन संबंधी समस्त व्यय प्रायोजक निकाय द्वारा वहन किया जायेगा. तथा इस संबंध में सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर कहीं भी उत्तरदायी नहीं होगा.

10. सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर अंतरिम संस्था की समस्त गतिविधियों का सीधा नियंत्रण पर्यवेक्षकों द्वारा कर सकेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा.

11. अंतरिम संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की संख्या, संबंधित अध्यादेशों के निर्माण इत्यादि की विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है, इस आशय का घोषणापत्र अंतरिम संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जावेगा.

12. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर परीक्षा आयोजन के संबंध में तथा विभिन्न शुल्क के संबंध में जारी आदेश/नियम मान्य एवं बंधनकारी होंगे.

13. यह अधिसूचना दिनांक 05-11-2009 से प्रभावशील होगी, इस बीच यदि किसी संस्था, अधिकारी, प्राधिकारी/सामान्य जन को आपत्ति हो, तो वह दिनांक 04-11-2009 तक अपनी आपत्ति कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर को प्रस्तुत कर सकता है. इन आपत्तियों का निराकरण किसी उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा कराया जावेगा.

(प्रारूप माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

आर. डी. शर्मा,
कुलसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th December 2009

No. 23 (Mis)/I-7-3/2009 (Pt.-I).—23rd December, 2009 is declared holiday for the High Court, on account of the Nagar Palika Nigam, Nagar Palika Parishad and Nagar Panchayat Elections.

Bilaspur, the 19th January 2010

No. 420.—In exercise of powers conferred by sub rule (1) of rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 as amended by notification No. 7120/D-2517/XXI-B/C.G./07 Dated 14-08-07 and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court in its order dated 04-01-07 passed in the C. A. 1867/06 (Malik Mazhar Sultan and Anr. Vs. U. P. Public Service Commission and Ors.), The High Court of Chhattisgarh notifies the vacancies in respect of Civil Judge Class-II (Entry Level) as under :—

Number of Vacancies for the year 2010 - Nil

By order of Hon'ble High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General & Secretary.

बिलासपुर, दिनांक 05 जनवरी 2010

क्रमांक 02/दो-3-15/2007.—श्री आर. पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-12-2009 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 07 जनवरी 2010

क्रमांक 09/दो-2-21/2002.—श्री महादेव कातुलकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-09-2009 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.